तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.95/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
26.6.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी किशोर कुमार कहार पुत्र दौलतराम कहार, जाति– कहार, निवासी– चौधरी कॉम्पलेक्श के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सोनू किराणा स्टोर, मानपुर चौराहा, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार उपस्थित।	

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 26.3.2022 को फर्म सोनू किराणा स्टोर, मानपुर चौराहा, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी किशोर कुमार कहार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चना (suncity brand) का नमूना संख्या S-1772 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./919/Act/2022/909 दिनांक 06.4.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंनें जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 26.3.2022 को फर्म सोनू किराणा स्टोर, मानपुर चौराहा, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी किशोर कुमार कहार पुत्र दौलतराम कहार, जाति– कहार, निवासी– चौधरी कॉम्पलेक्स के पास, मानपुर, आबूरोड़ से फर्म सोनू किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर फर्श पर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चना (suncity brand) के 30 किलोग्राम के एक पैक्ड बैंग को खोलकर उसमें में 4 किलोग्राम [illegible] (suncity [illegible] का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत [illegible] हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर [illegible] चना

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:46 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.95/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

(suncity brand) के नमूना संख्या S-1772 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./919/Act/ 2022/909 दिनांक 06.4.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी किशोर कुमार कहार ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चना (suncity brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चना (Suncity Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी किशोर कुमार कहार पुत्र दौलतराम कहार, जाति– कहार, निवासी– चौधरी कॉम्पलेक्श के पास, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सोनू किराणा स्टोर, मानपुर चौराहा, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी किशोर कुमार कहार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 25.7.2023 को पेश हो।

(के.आर. खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:46 IST
Reason: SelfAttested